



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08072022-237198  
CG-DL-E-08072022-237198

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2988]  
No. 2988]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 8, 2022/आषाढ 17, 1944  
NEW DELHI, FRIDAY, JULY 8, 2022/ASHADHA 17, 1944

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 जुलाई, 2022

का.आ. 3142(अ).—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड(46) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा 'बिहार विद्युत नियामक आयोग', (पैन:-AAALB1099E), बिहार की राज्य सरकार के द्वारा संस्थापित आयोग को उस आयोग को उद्भूत होने वाली निम्नलिखित विनिर्दिष्ट आय के संबंध में उक्त खंड के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है, अर्थात्:-

- (क) विद्युत के लाइसेंस धारकों से लाइसेंस फीस के रूप में प्राप्त राशि;
  - (ख) आवेदन प्रसंस्करण शुल्क के रूप में प्राप्त राशि; और
  - (ग) उपर्युक्त (क) एवं (ख) तथा सरकारी अनुदान पर अर्जित ब्याज।
2. यह अधिसूचना इन शर्तों के अधीन प्रभावी होगी कि बिहार विद्युत नियामक आयोग :-
- (क) किसी व्यावसायिक कार्यकलाप में लिप्त नहीं होगा;
  - (ख) वित्तीय वर्षों के दौरान कार्यकलाप तथा विनिर्दिष्ट आय की प्रकृति अपरिवर्तित रहेंगी; और
  - (ग) आयकर अधिनियम 1961, की धारा 139 की उप-धारा(4ग) के खंड(छ) के प्रावधानों के अनुसार आयकर विवरणी दाखिल करेगा।

3. यह अधिसूचना वित्तीय वर्ष 2021-2022 के लिए लागू की गई मानी जाएगी तथा यह वित्त वर्षों 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 तथा 2025-2026 के संबंध में लागू होगी।

[अधिसूचना सं. 81/2022/फा. सं. 300196/14/2021-आईटीए-1]

सौरभ जैन, अवर सचिव

**व्याख्यात्मक ज्ञापन**

प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव देने से किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ रहा है।

**MINISTRY OF FINANCE**

**(Department of Revenue)**

**(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 8th July, 2022

**S.O. 3142(E).**—In exercise of the powers conferred by clause (46) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies for the purposes of the said clause, 'Bihar Electricity Regulatory Commission' (PAN AAALB1099E), a Commission constituted by the State Government of Bihar, in respect of the following specified income arising to that Commission, namely:

- (a) amount received as licence fee from licensees in electricity;
- (b) amount received as application processing fee; and
- (c) Interest earned on Government Grants and on (a) & (b) above.

2. This notification shall be effective subject to the conditions that Bihar Electricity Regulatory Commission:-

- (a) shall not engage in any commercial activity;
- (b) activities and the nature of the specified income shall remain unchanged throughout the financial years; and
- (c) shall file return of income in accordance with the provision of clause (g) of sub-section (4C) of section 139 of the Income-tax Act, 1961.

3. This notification shall be deemed to have been applied for the financial year 2021-2022 and shall be applicable with respect to the financial years 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 and 2025-2026.

[Notification No. 81/2022/F. No. 300196/14/2021-ITA-1]

SOURABH JAIN, Under Secy.

**Explanatory Memorandum**

It is certified that no person is being adversely affected by giving retrospective effect to this notification.